# महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
# वीडियो कान्फ्रेंस दिनांक 12 अप्रैल 2018
# कार्यवाही विवरण

दिनांक 12 अप्रैल 2018 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से मनरेगा अंतर्गत आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मनरेगा के जिला व जनपद स्तर के विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहें।

एजेण्डावार कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

**एजेण्डा नं 1 : – गुड गवर्नेंस गतिविधियां :–**

1. **जॉबकार्ड सत्यापन व जारी करना** :– जिलों से जॉबकार्ड रिप्लेसमेंट के संबंध में मांग चाही गई थी। कई जिलों यथा हरदा, आगर मालवा, मुरैना, शिवपुरी, डिण्डौरी द्वारा वर्तमान में जिलों के सक्रिय जॉबकार्डधारियों की संख्या के 100 प्रतिशत से अधिक एवं दतिया, शाजापुर, सीधी, अलिराजपुर, श्योपुर, दमोह, सागर, भिण्ड, रायसेन, छतरपुर, धार, होशंगाबाद तथा अशोकनगर जिलों द्वारा सक्रिय जॉबकार्डधारियों की संख्या से 50 प्रतिशत अधिक तक मांग प्रेषित की है।

   इससे स्पष्ट होता है कि इन जिलों ने निर्देर्शो कों ठीक से देखा ही नहीं है। ऐसे जिले आगामी 3 दिवस के अन्दर वास्तविक मांग प्रेषित करें अन्यथा राज्य स्तर से निर्णय लेकर कार्यवाही कर दी जायेगी।

   जॉबकार्ड मजदूर के पास हो और नियमित रूप से अद्यतन किया जाये, यह भी सुनिश्चित किया जाए।

2. **सिटीजन इन्फार्मेशन बोर्ड (CIB)** :– प्रत्येक जिले से 5–5 सिटीजन इन्फार्मेशन बोर्ड के अच्छी गुणवत्ता के छायाचित्र जो भारत सरकार के मानक पूर्ण करते हों चाहें गये थे, परन्तु CIB के फोटोग्राफ बैतूल, छिन्दवाड़ा, टीकमगढ़, भोपाल, दतिया, सिवनी, जबलपुर, गुना, खरगोन, हरदा, होशंगाबाद, धार तथा राजगढ़ से ही अत्यंत कम संख्या में प्राप्त हुये हैं। इन जिलों को छोड़कर अन्य जिलों द्वारा फोटो नहीं भेजे गये हैं, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है। कुछ जिलों द्वारा त्रुटिपूर्ण फोटो भेजे जा रहें हैं, जिनमें निम्नानुसार प्रमुख कमियां/विसंगतिया हैं :–

   (i) फ्लेक्स/लोहे से बनाये गये है जबकि सीमेंट ईट/सीमेंट कांक्रीट से बनाये जाना है।

   (ii) CIB का आकार भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुरूप नहीं है। उपर त्रिभुज आकार का होना चाहिए परन्तु या तो चौकोर या आर्कनुमा है।

   (iii) जो फोटोग्राफ भेजे जा रहे हैं, उनमें बोर्ड दिख रहा है, परन्तु कार्य नहीं दिख रहा या कौन–सा कार्य है यह स्पष्ट नहीं हो रहा है।

   (iv) कार्य प्रारंभ होने के साथ ही CIB लगाये जाना है परन्तु नहीं पाये जा रहे है।

   (v) CIB पर लेखन भारत सरकार के द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुरूप नहीं है कही पर सफेद बैकग्राउण्ड में लिखवाया जा रहा है साथ ही मनरेगा का मोनो भी स्पष्ट नहीं है या बनाया ही नहीं गया है। सामुदायिक कार्य पर पीला बैकग्राउण्ड तथा नीले बार्डर से

नीले रंग से लेखन तथा हितग्राही मूलक कार्य पर पीला बैकग्राउण्ड तथा काले बार्डर व काले रंग से लेखन किया जाना है।

(vi) कार्य प्रारंभ होने के साथ ही CIB लगाये जाना है परन्तु नहीं पाये जा रहे है।

जिन जिलों ने फोटो नहीं भेजे हैं वे एक सप्ताह के अन्दर अच्छी गुणवत्ता के ऐसे फोटो जिनमें कार्य स्पष्ट रूप से दिख रहा हों, भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित जिलें के परियोजना अधिकारी को व्यक्तिशः परिषद मुख्यालय आहूत किया जायेगा।

3. <u>केस रिकार्ड/वर्क फाईल</u>:– कुछ ही जिलों द्वारा केस रिकार्ड/वर्क फाईल के फोटो भेजे गये हैं। अन्य जिले अच्छी गुणवत्ता के फोटो भेजना सुनिश्चित करें। प्रत्येक कार्य में केस रिकार्ड/वर्क फाईल संधारित किया जायेगा।

4. <u>7 रजिस्टर का संधारण</u> :– 7 रजिस्टर का संधारण कई जिलों द्वारा ठीक ढंग से नई किया गया है तथा अधिकांश जिलों द्वारा फोटो नहीं भेजे गये हैं। 7 रजिस्टर संधारित हैं, उनमें निम्न कमियां पाई गईं हैं :–

(i) ग्राम पंचायतों में पूरे सात रजिस्टर संधारित नहीं है कहीं पर चार, कहीं पर तीन ही रजिस्टर संधारित है।

(ii) रजिस्टर संधारित तो है पर नियमित रूप से अपडेट नहीं किये जा रहे हैं।

(iii) रजिस्टर पर लेवल नहीं लगाया गया है, जिसके मुख्य पृष्ठ को देखकर रजिस्टर्स की जानकारी हो सके।

(iv) रजिस्टर्स में पृष्ठ क्रमांक एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा (सरपंच/सचिव/ग्रामरोजगार सहायक) सत्यापन नहीं है।

(v) रजिस्टर क्रमांक–1 के चार भागों को एक ही रजिस्टर के रूप में संधारित किया जाना है, परन्तु चारो भागों को अलग–अलग करके चार रजिस्टर बनाने गये है।

(vi) ऑनलाईन रजिस्टर के प्रिंट आउट एवं रजिस्टर के कॉलमों के बीच समरूपता नहीं है। ऑनलाईन प्रिंट के अनुरूप ही रजिस्टर का आकार निर्धारित किया जाना था तथा उसी अनुरूप ही रो तथा कॉलम के प्रिंट निकालकर संधारित करना था।

(vii) रजिस्टर्स ग्राम पंचायतों में संधारित नहीं पाये गये।

(viii) रजिस्टर्स के आकार या तो बहुत बडे या अपेक्षाकृत छोटे हैं। कहीं पृष्ठ संख्या अत्यधिक तो कहीं न्यून हैं।

भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुरूप प्रत्येक ग्राम पंचायत में 7 रजिस्टर संधारित किये जावें।

<u>एजेण्डा नं 2</u> : –

सभी जिलों की समस्त ग्राम पंचायतों में गुड गवर्नेंस गतिविधियों को गुणवत्तापूर्ण व समान रूप से करने के निर्देश दिये गये। जिलों में भ्रमण हेतु हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, सीहोर, देवास, खरगोन, धार की ग्राम पंचायतों के रूट चार्ट बनाकर 2 दिवस में परिषद मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

एजेण्डा नं 3 : –

**स्टाफ वेरिफिकेशन :–** स्टाफ वेरिफिकेशन के संबंध में बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, धार, रीवा, सीहोर आदि जिलों द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक का रजिस्ट्रेशन किया गया है। ऐसे जिले जहां संख्या से अधिक रजिस्ट्रेशन किया गया है उनके डुप्लीकेट नाम डिलीट करने के लिये कहा गया। साथ ही जिन जिलों में स्टाफ की संख्या से कम रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन किया गया है, उन जिलों को 2 दिनों में रजिस्ट्रेशन कर उनका वेरिफिकेशन के साथ ही हस्ताक्षरित एक प्रति परिषद मुख्यालय को भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा नं 5 : –

**जनपद एवं जिले स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा का कोई एकाउन्ट नहीं होने का प्रमाण पत्र :–** आयुक्त महोदय के पत्र क्रमांक 3054 दिनांक 26.03.2016 एवं 3209 दिनांक 01.04.2016 तथा संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा) का पत्र क्रमांक 5494 दिनांक 15.06.2016, 10235 दिनांक 10.10.2016 के माध्यम से जनपद/ग्राम पंचायत/लाईन विभागों के खातें बंद कर राशि जिला नोडल अकाउन्ट में ट्रांसफर कर प्रमाण पत्र, परिषद, कार्यालय को प्रेषित करने हेतु जिलों को निर्देशित किया गया था, परन्तु 14 जिलों (बैतूल, मण्डला, शहडोल, श्योपूर, सीधी, दमोह, हरदा, पन्ना, भिण्ड, ग्वालियर, होशंगाबाद, मंदसौर, नीमच, विदिशा) द्वारा प्रमाण पत्र नहीं भेजा गया है इसे शीघ्र भेजने हेतु जिलों को निर्देश दिए गए।

एजेण्डा नं 6 : –

**BFT, DTRT एवं BTRT की MIS इंट्री :–** DTRT की ऐंट्री 12 जिलों ( अशोकनगर, बैतूल, छिन्दवाड़ा, दतिया, देवास, कटनी, रीवा, सागर, सतना, श्योपुर, सीधी, टीकमगढ़) द्वारा नहीं की गई तथा 12 जिलों (भिण्ड, दमोह, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, नीमच, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, शहडोल, विदिशा) द्वारा गलत इंट्री की गई। इसी प्रकार BTRT की 10 जिलों (अशोकनगर, भिण्ड, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मन्दसौर, रतलाम, सागर, सतना, श्योपुर) द्वारा ऐंट्री नहीं की गई जिसे 20 अप्रैल 2018 तक ऐंट्री करने/ठीक करने हेतु निर्देशित किया गया।

अतिरक्ति एजेण्डा :–

- ग्राम पंचायतों में प्रति सप्ताह आयोजित होने वाले रोजगार दिवस के प्रचार–प्रसार एवं उनके फोटोग्राफ्स परिषद मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए।
- जिले द्वारा प्रत्येक जनपद अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा के तहत हुए उत्कृष्ट कार्यों वाली कम से कम एक ग्राम पंचायत का चयन करके उसकी सूची सफलता की कहानी के साथ भेजने एवं महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत हुए उत्कृष्ट कार्यों की सफलता की कहानियां परिषद मुख्यालय को भेजने हेतु निर्देशित किया गया।
- सीपीजीआरएमएस अंतर्गत जिला शिवपुरी की वर्ष 2015 से लम्बित शिकायत का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अविलम्ब भिजवाने के निर्देश दिए गए।

- विधानसभा (सत्र जून 2017) प्रश्न क्र. 5148 के संदर्भ में जिले से जांच प्रतिवेदन अद्यतन अप्राप्त है तथा इस प्रश्न पर निर्मित आश्वासन क्रमांक 1495 का उत्तर भी अप्राप्त है। अविलम्ब भिजवाने के निर्देश दिये गये।
- सी.एम. मॉनिट अंतर्गत मण्डला एवं सागर जिला पंचायत से प्राप्त प्रतिवेदन पर की गई पृच्छा की जानकारी अप्राप्त है। शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिये गये।
- सी.एम. मॉनिट सी अंतर्गत जिलों अनूपपुर तथा कटनी सी.एम. मॉनिट बी अंतर्गत जिला सीधी, खरगोन एवं आगर मालवा के प्रतिवेदन यथाशीघ्र परिषद मुख्यालय को भिजवाने के निर्देश दिये गये।

(सुदर्शन सोनी)
संयुक्त आयुक्त
म.प्र.रा.रो.गारंटी परिषद